

**बिहार सरकार**  
**उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।**

सं०सं०-४/नि०स्था० (आरोप)-८/१०

**आदेश**

उद्योग निदेशालय, के आदेश ज्ञापांक 1012, दिनांक-21.03.14 के द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका 03 में उल्लेखित राशि की वसूली श्री संजीव कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक के वेतन से निम्न प्रकार करने का निदेश दिया गया।

(1)	उद्योग मित्र, बिहार, पटना-	7,06,810.00
(2)	श्री अशोक कुमार यादव-	1,03,015.46
(3)	श्री चंद्रिका प्रसाद -	1,70,673.35
कुल -		9,80,498.81 या 9,80,499.00

2. उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा प्रधान सचिव के समक्ष अपील दायर किया गया। प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में उद्योग निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 4224 दिनांक-26.10.15 द्वारा अपील पर निर्णय तक वसूली को स्थगित कर दिया गया।

3. प्रधान सचिव द्वारा श्री कुमार के अपील पर पारित आदेश दिनांक-19.11.18 के आलोक में श्री कुमार से निम्न विवरण के अनुसार राशि की वसूली की जानी है:-

(1)	उद्योग मित्र, बिहार, पटना-	5,06,550.00
(2)	श्री अशोक कुमार यादव-	54,905.00
(3)	श्री चंद्रिका प्रसाद -	11,273.00
कुल -		5,72,728.00

4. उपरोक्त राशि की वसूली श्री संजीव कुमार के वेतन से 36 किस्तों में की जाएगी, तथा वसूली गई राशि संबंधित कार्यालय/कर्मचारी को समान किस्तों में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. पूर्व में उद्योग निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-5273 दिनांक-05.12.13 द्वारा श्री संजीव कुमार को संसूचित दण्ड यथावत रहेगा।


6. तदनुसार पूर्व के आदेश ज्ञापांक 1012 दिनांक-21.03.14 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्था० (आरोप)-८/१० 4500

पटना, दिनांक 12/12/18

**प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ संयुक्त उद्योग निदेशक, स्थापना प्रभारी/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा)/ आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग/श्री संजीव कुमार उच्चवर्गीय लिपिक उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।  
12/12/18